भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारंकित प्रश्न संख्या-2367
उत्तर देने तारिख-18/12/2023

केरल को 7वें यूजीसी वेतन संशोधन के अंतर्गत आबंटन

†2367. श्री के. सुधाकरनः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 7वें यूजीसी वेतन संशोधन के अंतर्गत केरल को 750.9 करोड़ रुपये देने से इनकार करने के क्या कारण हैं, विशेषकर जब राज्य सरकार एक पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने का दावा करती है;
(ख) 7वें यूजीसी वेतन संशोधन के तहत धन के आवंटन का मूल्यांकन और निर्णय लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट पैरामीटर, और अन्य राज्यों की तुलना में केरल के प्रदर्शन का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार की ओर से आवेदन प्रक्रिया में कोई विसंगति या लापरवाही मिली है जिसके कारण धनराशि देने से इनकार कर दिया गया है; और
(घ) क्या सरकार केरल राज्य सरकार द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने और 7वें यूजीसी वेतन संशोधन के अंतर्गत धन का निष्पक्ष और पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (घ): केरल राज्य सरकार ने इस मंत्रालय को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के वेतन में संशोधन की योजना के कार्यान्वयन पर 50% केंद्रीय हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 50% केंद्रीय शेयर की प्रतिपूर्ति इस योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के साथ योजना के कार्यान्वयन के अध्यधीन है। केरल राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की इस मंत्रालय में जांच की गई और इसे

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अपूर्ण पाया गया। केरल राज्य सरकार से मंत्रालय के दिनांक 02.11.2017 और 26.07.2018 के पत्रों के माध्यम से जारी योजना के दिशानिर्देश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों को जारी की गई राशि, विधिवत प्रमाणित संशोधित गणना शीट, चेक सूची और अतिरिक्त जानकारी के लिए प्रोफार्मा और उन विश्वविद्यालयों/कॉलेजों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिनके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है।

राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी और केरल सहित सभी राज्यों को 31.03.2022 को या उससे पहले इस मंत्रालय को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। केरल राज्य सरकार से उपरोक्त अपेक्षित दस्तावेजों सहित पूर्ण प्रस्ताव योजना की अंतिम तिथि यानी 31.03.2022 को या उससे पहले प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, इस योजना के तहत निधि जारी करने के लिए उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका। राज्य सरकार को केंद्रीय शेयर की प्रतिपूर्ति की योजना 01.04.2022 से बंद कर दी गई है।

*****